

कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946-220003 ई.मेल: cfwkum-forest-uk@nic.in

पत्र संख्या 449 / 12-1 हल्द्वानी, दिनांक, 5 / सितम्बर, 2024।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग,
हल्द्वानी।

- विषय:** जनपद-नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुंआ के अन्तर्गत रामनगर-कालाढूंगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज-बिजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्यानाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी० प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 0.46 है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
- संदर्भ:** प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र संख्या 492/12-1 दिनांक 23.08.2024, (छायाप्रति संलग्न)।

महोदय,

संदर्भित पत्र जो इस कार्यालय को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें। पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रकरण में आपत्तियाँ लगायी गयी है। आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार सूचना अविलम्ब इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि तदनुसार सूचनायें उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा० विनय भार्गव)

वन संरक्षक,

पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

o/c

3-9-24



कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक- 492 /12-1 देहरादून:दिनांक: 23 अगस्त, 2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।

कार्यालय वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून
उत्तराखण्ड हल्द्वानी
पत्रांक संख्या 1729
12-1
3-9-24

विषय:- जनपद-नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआ के अन्तर्गत रामनगर कालाकुंजी हल्द्वानी काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज-बिजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्यानाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी० प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच माग्र के निर्माण हेतु 0.46 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UK/ROAD/33368/2018)

सन्दर्भ :-आपका पत्रांक संख्या 60/12-1 दिनांक 08.07.2024 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगतनीय है कि विषयांकित प्रकरण का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृति हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव के गहन आलोचना करने के पश्चात् निम्न प्रकार अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवश्यक है। प्रस्ताव में निम्नानुसार सूचना संलग्न की जानी है :-

क्र० सं०	प्रपत्र	प्रपत्र संलग्न हां/नहीं
1.	सक्षम अधिकारी/ऑन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का प्रमाण-पत्र	हां
2.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1	हां
3.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-2	हां
4.	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	हां
5.	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।	हां
6.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट। (Site Inspection Report)	हां (नवीन प्रारूप में प्रेषित की जानी अपेक्षित है)
7.	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अगल-अलग रंगों से दर्शाया गया हो।	हां
8.	डिजिटल मैप व सी०डी० में प्रस्तावित क्षेत्र को जी०पी०एस० रिडिंग के साथ दर्शाया गया।	हां
9.	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण दर्शाया गया हो।	हां
10.	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	हां
11.	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	हां
12.	वैकल्पिक संरेखण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	हां
13.	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	हां
14.	प्रस्तावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	हां
15.	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	हां
16.	वार चार्ट।	हां

क्र० सं०
कोड

17	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र।	हां
18	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/व्यासवार विवरण।	हां
19	प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन/सारांश।	हां
20	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	हां
21	बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या एवं प्रमाण-पत्र। (उक्त परियोजना में बाँज वृक्षों का पातन निहित नहीं है)	हां
22	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।	29 वृक्ष प्रभावित हा रहे हैं।
23	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	हां
24	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र।	हां
25	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	हां
26	राष्ट्रीय पार्को/वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मा0 उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति।	हां
27	प्रभावित होने वाले ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	हां
28	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में लागत लाभ विश्लेषण की सूचना अंकित करना। लागत लाभ विश्लेषण के प्रपत्रों में परियोजना से होने वाले आर्थिक, सामाजिक एवं पारिस्थितिकीय संतुलन का आंकलन। (5.00 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	लागू नहीं
29	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	हां
30	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं हेतु)	लागू नहीं
31	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले-आउट प्लान	हां
32	परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आख्या।	हां
33	भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	हां
34	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	हां
35	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	हां
36	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/एतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र।	हां
37	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र।	हां
38	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिटटी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	हां
39	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/ परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र।	हां
40	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेंट का प्रमाण-पत्र।	लागू नहीं
41	क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर वृक्षारोपण की दस वर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र।	हां
42	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र।	हां
43	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हों तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हों।	हां
44	रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हों तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	हां
45	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण/दस गुना/बौनी प्रजातियों/100 वृक्षों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन, मानचित्र उपयुक्ता प्रमाण-पत्र	हां
46	प्रस्तावित कार्य हेतु यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमि धरों का भूमि धर होना का प्रमाण-पत्र।	लागू नहीं
47	भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुये अनुबन्ध।	लागू नहीं

48	मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन।	नहीं
49	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन।	हां
50	एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र।	हां
51	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	हां
52	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	लागू नहीं
53	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन ना होने का प्रमाण पत्र और होने की दशा में विवरण।	हां
54	जल विद्युत परियोजना हेतु कैट प्लान (यदि लागू हो) व कैट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	लागू नहीं
55	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति। (यदि लागू हो)	लागू नहीं
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-FC-11/43/2021-FC दिनांक 16.01.2023 में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :-		
a.	In respect of linear projects, the stipulated norms of 2% and 0.5% towards the cost of Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan, as provided in the Ministry's guideline dated 08-06-2022, will be proportionate to the extent of forest land involved instead of total project cost or actual cost of implementation of such plans, whichever is more, should be charged from the user agency.	नहीं
b.	The provisions of Wildlife Management Plan or Soil Moisture Conservation Plan shall be approved by the competent authority in the State and accordingly, the deficit amount, if any, from the money already realized from to the tune of 2% and / or 0.5% of project cost proportionate to the extent of forest land involved, shall be paid by the user agency, and the same shall be deposited in to the CAMPA account.	नहीं
56	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	
उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगतनीय है कि प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून महोदय से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में मलवा निस्तारण स्थल के सम्बन्ध में प्रकरण पर निम्नलिखित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें :-		
57	मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात् आवश्यकतानुसार समतलीकरण कर जन उपयोगी कार्यों हेतु उपयोग में लाये जाने हेतु कार्य योजना तैयार किया जाना उचित होगा।	नहीं
58	मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात् क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मलवे को इस प्रकार सुव्यवस्थित ढंग से स्थिरीकरण किया जाये कि प्रस्तावित स्थल को वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लाया जा सके।	नहीं
59	डम्पिंग यार्ड को पब्लिक यूटिलिटी के लिये उपयोग में लाया जायेगा।	नहीं
60	मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल के स्लोप को बेंचेस में इस प्रकार विभाजित किया जाये की वह Stabilized हो जाये ताकि भविष्य में उक्त स्थल में पौधा रोपण करने में सुविधा हो।	नहीं
61	पौधा रोपण करते समय प्रस्तावित परियोजना में नेशनल इविरॉनिमेटनल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) द्वारा विकसित जैव-उर्वरक तकनीक को अपनाया जाय।	नहीं
62	मलवा निस्तारण स्थल को वनीकरण के पारंपरिक तरीकों को Vesicular Arbuscular Mycorrhizae (VAM) और पौधों की जड़ों के साथ साझेदारी से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के उपयोग के साथ पूरक किया जाएगा। ये पौधों की जड़ों पर उगते हैं और पौधों को तेज गति से पानी और पोषण विशेषकर फास्फोरस प्रदान करते हैं।	नहीं

63	प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के साथ तालमेल रखते हुए प्रस्तावित मलवा निस्तारण स्थल को इस प्रकार उपयोग में लाया जाए कि अन्य स्थलों पर भी इस तकनीकी को मलवा निस्तारण हेतु अपनाया जा सके।	नहीं
64	वैकल्पिक/औचित्य- प्रयोक्ता एजेन्सी मलवा निपटान के लिए वैकल्पिक साइट (केएमएल फाइल के साथ) और प्रस्तावित अतिरिक्त डंपिंग जोन के लिए उचित औचित्य/टिप्पणियाँ देगी।	नहीं
65	प्रस्तावक विभाग को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वन भूमि पर गंदगी नहीं फेंकी जाएगी।	नहीं
66	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की DSS Report Form-A Part-II के अतिरिक्त सूचना में अपलोड की जानी अपेक्षित है।	नहीं
67	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी प्रस्ताव में अपलोड की जानी अपेक्षित है।	नहीं
68	प्रस्ताव में संलग्न फ़ैक्ट शीट रिक्त संलग्न की गयी है, उक्त प्रपत्र में सूचना अंकित की जाय।	हां
69	प्रस्ताव पर इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये कि प्रस्तावक विभाग पूर्व में स्वीकृत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव से सम्बन्धित कोई वित्तीय देनदारी नहीं है।	नहीं

अतः उपरोक्त विवेचना के अनुसार प्रस्ताव में जो कमियाँ पाई गयी हैं समस्त इगित कमियों/सूचनाओं का उत्तर Parivesh Portal पर पार्ट-1 एवं पार्ट-11 में यथारथान संशोधन करने के उपरान्त पार्ट-1 एवं पार्ट-11 अतिरिक्त सूचना (Additional Information) में प्रश्न-उत्तरवार/विन्दुवार आख्या अपनी पूर्ण संस्तुति के साथ अपलोड करते हुये हार्ड प्रति में भी प्रकरण इस कार्यालय को अग्रसारित करने का कष्ट करें।
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,



(आर0के0 मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।



संख्या 1192 /12-1 तददिनांकित।

1. प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी को उपरोक्त विषयक के क्रम में सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि :-अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, तिकोनिया, हल्द्वानी को उपरोक्त विषयक के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त कमियों के पूर्णतः निराकरण हेतु प्रस्ताव की हार्ड प्रति इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर उक्त कमियों का निराकरण कर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।



(आर0के0 मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

